कार्यालय कृषि उपज मण्डी (अनाज) विशिष्ट श्रेणी, कोटा

क्रमांक :- 1178 दिनांक :- 25.08.2022

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,

कोटा (राज.)

विषय :- आप द्वारा लगाये गये आक्षेप दिनांक 23.08.2022 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा लगाये गये आक्षेपों का क्रमवार विवरण निम्न प्रकार है।

1. यह है कि उपरोक्त कृषि मण्डी समिति कोटा को किये गई भूमि का आवंटन रीको द्वारा विभिन्न चरणों में आवंटन किया गया है यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रीको एक राजकीय उपक्रम है और वो प्रदेश में सरकार की ओर से आद्यौगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है। इसी क्रम में रीको को उपरोक्त भूमि 1978–1979 में तत्कालीन कलेक्टर ने औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु इस भूमि का आवंटन रीको को किया था और उसी भूमि में से विभिन्न चरणों में यथा 26.66 हेक्टयर 1991 में और 15,513 वर्ग मी. 1992 में तथा 11,730 वर्ग मी. 1993 में सरकारी दरों से रुपया जमा कर कृषि उपज मण्डी को आवंटित की थी ।

यह कि वन संरक्षण अधिनियम 1900 आने से पहले तत्कालीन कलेक्टर को विशेष परियोजन के लिये भूमि आवंटन का अधिकार था और उसी क्रम में रीको को आवंटित की गई थी और रीको के माध्यम से कृषि उपज मण्डी को आवंटित की गई थी।

यह की यह प्रकरण लगभग 30 वर्ष पुराना है अतः रिकॉर्ड मिलना सम्भव नही है। परन्तु फिर भी 1991 से लेकर 1993 तक जब इस कृषि मण्डी का निर्माण हुआ तब निम्न पदाधिकारी पदस्थापित थे।

भामाशाह कृषि उपज मण्डी, कोटा

क्र.सं.	नाम	पद	अवधि पदस्थापन वर्ष
1.	श्री वी.डी. अग्रवाल	सचिव	1990–1991
2.	श्री तेज सिंह कालवी	सचिव	1991–1993
3.	श्री ओ.पी.शर्मा	क्षेत्रीय प्रबंधक (रीको), कोटा	1991

यह है कि कृषि मण्डी का निर्माण 1991–1993 तक के मध्य उस भूमि पर हुआ जिसको वन भूमि दर्शाया गया है।

आपके द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर आपके कार्यालय में भिजवाई जा रही है उचित कार्यवाही करें।

25.8.22

P.e. Attorney

(जवाहर लाल नागर)
सचिव
कृषि उपज मण्डी (अनाज)
विशिष्ट श्रेणी, कोटा

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज)
विशिष्ट श्रेणी, कोटा